

अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित आवेदक को अपना पक्ष एवं कागजात प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत की गयी। निर्धारित तिथि दिनांक 27.04.2015 को आवेदक उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं कागजात प्रस्तुत किये। कागजातों के परीक्षण के उपरांत ज्ञात होता है कि अभिलेख में संलग्न पुराने कागजातों को ही पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जाँच संबंधित अंचल अधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा करने के उपरांत रैयती मान्यता के दावा को खारिज करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता के रैयती मान्यता के दावों को खारिज करने की अनुशंसा के आलोक में रैयती मान्यता अस्वीकृत किया जाता है।

  
उपायुक्त, हजारीबाग।